

329



प्र.क /17.

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

PBR/मिगरान/रतलाम/श्रु-श/२०१७/२०५१

यशवंतसिंह पिता भभुतसिंह कोठारी
आयु ७० वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम पंचेड तह व जिला
रतलाम म.प्र.

—प्रार्थी/अपीलांत

विरुद्ध

मुकेश पिता मदनसिंह कोठारी
आयु ५० वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम पंचेड तह व जिला
रतलाम म.प्र.

—प्रतिप्रार्थी/रेस्पान्डेंट

मुकेश कोठारी
3/7/17
[Signature]

//रिवीजन अन्तर्गत धारा म.प्र.भू.रा.स.//

मान्यवर महोदय,

में प्रार्थी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय ग्रामीण जिला रतलाम म.प्र. (श्रीमती नेहा भारती मेडम) द्वारा प्रकरण क्रमांक 2-अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 15.6.17 से असन्तुष्ट होकर अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्न आधारों पर यह रिवीजन प्रस्तुत है :-

Belapurkar
3/7/17

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के आपत्तिकर्ता यशवंतसिंह पिता भभुतसिंह कोठारी निवासी ग्राम पंचेड ने म.प्र.भू.रा.स. 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आपत्ति पेशकर शामलाती कृषिभूमि खाता क्रं. 536 सर्वे नं. 6 रकबा 23.640 है. भूमि है जो वास्तविकता में 22.640 है. भूमि है मृतक मदनसिंह पिता भभुतसिंह, भंवरबाई बेवा भभुतसिंह के स्थान पर उनके वारिसों को रिकार्ड पर लिये जाने संबंधी विवाद है अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण क्रं. 11-अं-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 23-9-11 को अपीलांत का आवेदन निरस्त किया गया । मुकेश के पिता मदनसिंह कोठारी की मृत्यु दिनांक 13-12-08 को होना आपत्तिकर्ता ने स्वीकार की है मदनसिंह द्वारा आपसी राजीनामा दिनांक 24-5-1960 के अनुसार स्व. मदनसिंह के


मान्यवर सिंह

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/2051

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-12-18 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	

3